संख्या-133/2021/3278/26-3-2021-1(13)/2020

प्रेषक,

हिमांशु कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 25 नवम्बर 2021

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 एवं 80 के अन्तर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना में अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-842/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0- /2021-22, दिनांक-12.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 एवं 80 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-01-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-102-03-02-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-290000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-144500.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0-70000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-35000.00 लाख **अर्थात कुल अवशेष धनराशि रू0-179500.00 लाख (रूपये-सत्रह अरब पच्चान्वे करोड़)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निम्न तालिकानुसार निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि लाख में

क्र0सं0	मद/अनुदान का विवरण	लेखाशीर्षक	प्राविधानित धनराशि	आवंटित धनराशि	अवमुक्त किये जाने हेतु अवशेष धनराशि
1	(केन्द्रांश) अनुदान संख्या-80	2235-02-104-05-01-20	175000.00	87500.00	87500.00
2	अनुदान संख्या-80	2235-60-102-03-02-20	115000.00	57500.00	57000.00
3	अनुदान संख्या-83	2235-60-789-04-00-20	67400.00	33700.00	33700.00
4	अनुदान संख्या-83	2235-60-789-03-00-20	2600.00	1300.00	1300.00
	योग		**360000.00**	**180000.00**	**179500.00**

(रूपये–सत्रह अरब पच्चान्वे करोड)

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय करने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पूर्व वर्षो में स्वीकृत की गयी कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखाना/ डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नही है।

(3)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(7)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2235-60-789-03-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-789-04-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2235-02-104-05-01-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) एवं लेखाशीर्षक-2235-60-102-03-02-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

हिमांशु कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0संख्या-133/2021/3278(1)/26-3-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।